

बच्चे के अधिकार के साथ, उनके सम्मान की बात।



समैकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत 18 वर्ष की उम्र तक के कठिन परिस्थितियों में रहने वाले, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विवादित बच्चों को संरक्षण, सहायता एवं पुनर्वास प्रदान किया जाता है।

योजना प्राप्त करने वाले लाभार्थी



- विधि विवादित बच्चे
- निराश्रित बच्चे
- बेसहारा बच्चे
- गुमशुदा बच्चे



- भीख मांगने वाले बच्चे
- सड़क पर निवास करने वाले बच्चे
- सड़क पर कचरा बीनने वाले बच्चे
- देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे



किसी भी बच्चे की सुरक्षा हेतु संपर्क करें-



चाइल्ड लाइन: 1098